न्यायालय नायब तहसीलदार भियाड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 81/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल | बनाम | गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी मौखाब

ईशा खां पुत्र श्री मिरा खां
जाति मुसलमान निवासी कोहरीयों की बस्ती।

"निर्णय" दिनांक:-24.09.2025

पत्रावली आज बमुकाम भियाड़ में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मौखाब ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा कोहरीयों की बस्ती के खसरा नं. 165 रकबा 5.2366 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम में से 2.59 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्व धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 96/- पूर्णाक में अक्षरे छियानवे रूपये/- मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और भू0अ0 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल नीलामी की कार्यवाही करते हुए पूर्ण पालना से आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का,निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 24.09.2025 को सरेआम सुनाया गया।

नायब तहसीलदार भियाड़

नायब तहसीलदार
भींयाड़ तह.शिव जिला -बाड़मेर

न्यायालय उप तहसीलदार
भियाड़